गिरिराज गर्ग

बनाम

कोल इंडिया लि. एवं ओ.आर.एस.

(सिविल अपील संख्या 1695 2019)

फ़रवरी 15, 2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

प्रावधान संख्या 7(5) - मध्यस्थता खंड - संदर्भ द्वारा निगमन -

2007 की योजना के खंड 11.12 के अनुसार, विक्रय आदेश के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद के लिए

- अपीलकर्ता द्वारा स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन - उच्च न्यायालय के एकल न्यायधीश द्वारा ये कहते हुए अस्वीकृति कि 2007 की योजना में मध्यस्थता खंड को पार्टियों के बीच दर्ज किए गए बिक्री आदेशों के संदर्भ द्वारा शामिल नहीं किया जा सका - अपील पर, आयोजित: मध्यस्थता समझौते को स्वयं मूल अनुबंध के एक खंड के रूप में होना आवश्यक नहीं है - यह एक स्वतंत्र समझौता हो सकता है; या इसे किसी मूल अनुबंध, या मानक प्रपत्र अनुबंध के संदर्भ में शामिल किया जा सकता है - तथ्यों के अनुसार, 2007 योजना में मध्यस्थता खंड 11.12 को उसके तहत जारी किए गए बिक्री आदेशों में शामिल किया गया है

- खण्ड 11.12 में प्रयुक्त शब्द "उसके संबंध में" यह दर्शाता है कि यह खण्ड उन सभी लेनदेन पर लागू होगा जो 2007 योजना के तहत हुए जिनमे बिक्री से सम्बंधित लेन-देन भी शामिल है- इस प्रकार, एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण ग़लत है और रद्द किया जाता है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

कहा : 1.1 मध्यस्थता खंड के संदर्भ द्वारा निगमन का सिद्धांत

किसी अन्य दस्तावेज़ या अनुबंध से मध्यस्थता न्यायशास्त्र में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जिसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 धारा 7 की उपधारा (5) में वैधानिक मान्यता दी गई है। धारा 7(5) में कहा गया है एक अनुबंध के सन्दर्भ में एक दस्तावेज़ जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है, एक वैध मध्यस्थता समझौते का गठन करता है, यदि अनुबंध लिखित रूप में है, और संदर्भ विशेष रूप से अनुबंध के एक भाग के रूप में मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए दिया गया है.

मध्यस्थता समझौता मूल अनुबंध में ही एक खंड का प्रारूप हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यह एक स्वतंत्र समझौता हो सकता है; या इसे मूल समझौते या किसी मानक अनुबंध प्रपत्र के संदर्भ द्वारा शामिल किया जा सकता है. [पैरा 4.1-4.3][244-जी-एच, 245-ए-सी]

1.2 वर्तमान मामले में, एकल न्यायाधीश ने आक्षेप आदेश में गलती से यह विचार कर लिया कि मध्यस्थता खंड व्यक्तिगत बिक्री आदेशों में शामिल नहीं किया जाएगा जिसमें प्रतिवादी संख्या 2-कोल कंपनी और अपीलकर्ता शामिल है. व्यक्तिगत बिक्री आदेश 2007 योजना से निकलते हैं। बिक्री

आदेशों में विशेष रूप से कहा गया है कि वे दिशानिर्देश, परिपत्र, कार्यालय आदेश, नोटिस, निर्देश, प्रासंगिक

कोयला कंपनी द्वारा समय-समय पर जारी कानून आदि द्वारा शासित होंगे। परिणाम के तौर पर, 2007 में मध्यस्थता खंड (यानी खंड 11.12) योजना जारी किए गए बिक्री आदेशों में शामिल होगी. बिक्री आदेशों में खंड 7 'एकल अनुबंध मामला' ' के अंतर्गत आता है जहां मध्यस्थता खंड मानक प्रपत्र दस्तावेज़ यानी 2007 योजना एक में निहित है, जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी व्यक्तिगत बिक्री आदेशों में एक संदर्भ में है [पैरा 5][252-सी-ई]

1.3 2007 की योजना के खंड 11.12 में प्रयुक्त शब्द "उसके संबंध में" यह इंगित करता है कि यह खंड उन सभी प्रकार के लेनदें पर लागू होगा जो 2007 योजना के तहत हुए। यह तत्काल मामले में हुए बिक्री लेनदेन को शामिल करता है। एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है, और इसे रद्द कर दिया गया है।

[पैरा 5.1, 5.2][253-डी]

1.4 पार्टियों ने सर्वसम्मति से कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने पर सहमति बनायी जो अपीलकर्ता और प्रतिवादी 2 के बीच, 2007 योजना के अंतर्गत, जो विवाद उत्पन्न हुए हैं में निर्णय देने के लिए रखा. उनकी नियुक्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की छठी अनुसूची के प्रकटीकरण और घोषणा के अनुसार होगी. (जैसा कि 2015 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित)। [पैरा 6][253-ई-एफ]

एलिमेंटा एसए बनाम राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (1987) 1 एससीसी 615 : [1987] 1 एससीआर 957; एम.आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड वी.

सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (2009) 7 एससीसी 696: [2009] 10 एससीआर 373; आईनॉक्स विंड लिमिटेड बनाम थर्मोकेबल्स लिमिटेड (2018) 2 एससीसी 519 : [2018] 1 एससीआर 86; रेनूसागर पावर कंपनी

लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और अन्य [1985]1 एससीआर

432; डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य. 1988 (36) ईएलटी 201 (एससी) - संदर्भित। क्लेमेंट्स बनाम डेवोन कंट्री इंश्योरेंस कमेटी, [1918] 1 केबी 94; मैकलॉड रॉस एंड कंपनी लिमिटेड बनाम कॉम्पैनी डी' सेंट गैल के एश्योरेंस जनरल्स एल'हेल्वेटिया, [1952] 1 सभी ईआर 331, 334 : [1952] 1 लॉयड्स प्रतिनिधि 12 (सीए); समुद्र ट्रेड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन बनाम हेलेनिक म्युचुअल वॉर

रिस्क एसोसिएशन (बरमूडा) लिमिटेड, एथेना [2006] ईडब्ल्यूएचसी 2530 (कॉम); हबस सिनाई वे तिब्बी गज़लर इस्थिसल एंडुस्ट्री एएस बनाम सोमेटल एसएएल [2010] ईडब्ल्यूएचसी 29 (कॉम); SEA2011 Inc. बनाम ICT लिमिटेड [2018] ईडब्ल्यूएचसी 520 (कॉम) - संदर्भित।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह डॉ. पीटर द्वारा UNCITRAL मॉडल कानून क्षेत्राधिकार में

बाइंडर तीसरा संस्करण, 2010, स्वीट और मैक्सवेल पी 86, पैरा 2-022; रसेल 24वें संस्करण द्वारा मध्यस्थता। 2015, स्वीट और मैक्सवेल पीपी. 52-54, पैरा

2-049; पी। 82, पैरा 2-103 - करने के लिए भेजा।

केस कानून संदर्भ

[1987] 1 एससीआर 957 पैरा 4.8 को संदर्भित करता है

[2009] 10 एससीआर 373 पैरा 4.9 को संदर्भित करता है

[2018] 1 एससीआर 86 पैरा 4.10 को संदर्भित करता है

[1985] 1 एससीआर 432 पैरा 5.1 को संदर्भित करता है

1988 (36) ईएलटी 201 (एससी) पैरा 5.1 में संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1695

2019 का

2016 की मध्यस्थता आवेदन संख्या 11 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 21/18.05.2018 के निर्णय एवं आदेश से

डॉ. केदार नाथ त्रिपाठी, बी.बी. प्रधान, सुसांता क्र. मुदुति,

एम. ए. अलीम माजिद, सलाहकार, अपीलकर्ता के लिए.

अनुपम लाल दास, अनिरुद्ध सिंह, कृष्णु बरुआ, अधिवक्ता के लिए

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

निर्णय

इंदु मल्होत्रा, न्या.

अनुमति दी गई.

1. वर्तमान सिविल अपील दिनांक 21/18.05.2018 के आदेश से उत्पन्न हुई है

जिसे झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा

2016 की मध्यस्ता आवेदन संख्या 11 में पारित किया गया। अपीलकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (इसके बाद इसे "1996 अिधिनयम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के धारा 11

(6) के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमे एक स्वतंत्र मध्यथ को नियुक्त जाय जो याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच उत्पन्न विवाद में निर्णय ले सकें.

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स, संक्षेप में बताया गया है निम्नानुसार:

2.1. प्रतिवादी संख्या 1 ने 2007 की योजना जारी की, जिसके तहत कोयला का वितरण ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा यह ध्यान में रखते हुए की उन खरीदारों तक कोयला की पहुँच हो जो संथागत तन्त्र के माध्यम से कोयला प्राप्त करने में सक्षम नही थे. यह प्रणाली इक्छुक खरीदारों को सिंगल विंडो सेवा से कोयला खरीदने में सामान अवसर प्रदान करेगा और ऑनलाइन कोयले की बुकिंग के लिए देशव्यापी पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा जो सभी वर्गों के कोयला खरीदारों के लिए एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था होगी.2007 की योजना के खंड 11.12 में एक मध्यस्तथ खंड शामिल है जो निम्नानुसार पढ़ता है

“11.12 किसी भी विवाद की स्थिति में,
बोली लगाने वाले/खरीदार को संबंधित कोयला कंपनी के महाप्रबंधक (बिक्री और विपणन) को लिखित रूप में प्रस्तुत

करना आवश्यक है, जो इस तरह के प्रितिनिधत्व से 1 महीने की अविध में इसका निपटान करेंगे। इसके बाद, यदि आवश्यक हो तो मामला संबंधित कोयला कंपनी के विपणन प्रभारी निदेशक द्वारा निर्धारित

किया जाएगा। इस खंड की कोई भी व्याख्या सीआईएल द्वारा स्पष्टीकरण के अधीन होगी, जिसे दृढ़ और अंतिम माना जाएगा। इस योजना से <u>उत्पन्न होने वाले सारे विवाद या इससे सम्बंधित मध्यस्थता</u> <u>और सुलह अधिनयम, 1996 के संदर्भ में मध्यस्थता के माध्यम से</u>

<u>विशेष रूप से निपटाया जाएगा।</u> मध्यस्थ, इस सम्बन्ध में लिखित अनुरोध पर, सीआईएल के अध्यक्ष और कार्यकारी निर्देशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा. मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और पार्टीयों पर बाध्यकारी होगा। (मध्यस्थता का स्थान और मध्यस्थ का नामांकन कोयला कंपनी को ध्यान में रखते हुए उिचत रूप से भिन्न होना चाहिए)।

(बल प्रदान किया गया)

2.2 2012 से 2015 तक, अपीलकर्ता, 2007 की योजना के शर्तों एवं नियमों के तहत, एक पंजीकृत क्रेता के रूप में ई-नीलामी में भाग िलया जो कोयले की खरीद के तहत 2007 योजना से कई विक्रय आदेश जारी किये गये.

2.3 विभिन्न कोयला आदेशों के सम्बन्ध में अपीलकर्ता को सफल घोषित किया गया।

विक्रय आदेश अपीलकर्ता के पक्ष में जारी किये गये, जिसके अनुसार उसने बयाना राशि जमा (इसके बाद "ईडीएम" के रूप में संदर्भित) और कोयला मूल्य 2007 की योजना के खंड क्रमशः 2.5 और 5.21 के अनुसार के कोयला मूल्य क्रमशः 2.5 और 5.2। जमा किया.

2.4. 2007 की योजना के खंड 7.2 के अनुसार अपीलार्थी को कोयला उठाने की डिलीवरी आर्डर मिलने के पशचात, कोयला उठाने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया. अपीलकर्ता कितपय कारणों से बुक की गयी कोयले की मात्रा को उठाने में असमर्थ था.

2.5 प्रतिवादी संख्या 1 ने इसे 2007 योजना के नियम और शर्तों का उल्लंघन माना और अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी 2007 योजना की खंड 9.2 के तहत जब्त कर ली.

2.6 परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अपीलकर्ता ने मध्यस्थता के खंड 11.12 को लागू करने के लिए एक नोटिस दिनांक 21.03.2016 को दिया. उत्तरदाता 2007 योजना के खंड 11.12 के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहे।

2.7 इसिलए अपीलकर्ता धारा 11 के तहत एक स्वतंत्र

मध्यस्थ नियुक्त करने हेतु झारखंड उच्च न्यायालय,

रांची में आवेदन देने के लिए बाध्य था।

2.8 विद्वान् एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश दिनांक 21/18.05.2018 के तहत आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया की पार्टियों के बीच का विवाद 2007 योजना के तहत दो अलग लेन-देन के मामलों से जुड़ा है. विक्रय आदेश में कोई मध्यस्थता का खंड सम्मिलित नहीं था। यह माना गया कि भले ही 2007 योजना में एक मध्यस्थता खंड शामिल है, इनमें से कोई भी व्यक्तिगत विक्रय आदेश 2007 योजना के नियम एवं शर्तों के सन्दर्भ में व्यक्तिगत विक्रय आदेश देते है. इसिलए, मध्यस्थता खंड को संदर्भ द्वारा शामिल नहीं किया जा सका।

3. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान अपील से आवेदन किया है. हमने विद्वान् वकील डॉ. केदार नाथ त्रिपाठी, श्री बी.बी. प्रधान, श्री सुसंता क्र. मुदुती और श्री एम. ए. अलीम माजीद को अपीलार्थी के लिए और श्री अनुपम लाल दास, श्री अिनरुद्ध सिंह और श्री क्रिशाणु बरुआ को प्रतिवादियों की ओर से सुना है और अभिलिखित दस्तावेजों को गहनता से पढ़ा है.

3.1 प्रतिवादी संख्या द्वारा जारी बिक्री आदेश की एक प्रति

हमारे संज्ञान में लाया गया, जिसके अंत में मानक नियम एवं शर्तें है। नियम और शर्तों का खंड 7 यह बताता हैं कि बिक्री के आदेश कोल इण्डिया लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड. इत्यादि के दिशा-निर्देशों, परिपत्र, नोटिस और निर्देशों द्वारा शासित होंगे.

खंड 7 तत्काल संदर्भ के लिए यहां नीचे दिया गया है -

> "7. <u>विक्रय आदेश कोल इण्डिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और अन्य वैधानिक संस्था द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश - परिपत्र - कार्यालय आदेश - नोटिस - आदेश , प्रासंगिक क़ानून द्वारा नियंत्रित होंगे.</u> यह भविष्य में कीमतों और या लेवी/या शुल्क-कर आदि में किसी भी वृद्धि के अधीन है जो समय-समय पर लगाया जा सकता है।"
>
> (महत्त्व दिया गया)

4. इस न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या 2007 योजना में निहित मध्यस्थता खंड, होगा प्रत्येक बिक्री आदेश के संदर्भ द्वारा शामिल किया जाएगा.

4.1 मध्यस्थता खंड के सन्दर्भ में निगमन का सिद्धांत, किसी अन्य दस्तावेज़ या अनुबंध से मध्यस्थता न्यायशास्त्र[1] का एक स्थापित सिद्धांत है. इस सिद्धांत का पालन भारत के न्यायालयों में किया गया है और इन्हें 1996 की अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) में वैधानिक मान्यता दी गयी है.

4.2. धारा 7(5) में कहा गया है कि मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के सन्दर्भ में, यदि अनुबंध लिखित में है और सन्दर्भ मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाने में है तो वह एक प्रमाणित मध्यस्ता समझौता बनता है.

1क्लेमेंट्स बनाम डेवोन देश बीमा सिमित, [1918] 1 केबी 94; मैकलॉड रॉस एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सेंट गैल के कॉम्पैनी डी' एश्योरेंस जनरल्स एल'हेल्वेिटया, [1952] 1 सभी ईआर 331, 334 : [1952] 1 लॉयड्स प्रितिनिधी 12 (सीए)।

4.3 मध्यस्थता समझौता अनिवार्य रूप से मूल अनुबंध के खंड रूप में हो, ऐसा आवश्यक नहीं है. यह एक स्वतंत्र समझौता हो सकता है; या यह किसी मूल समझौते के सन्दर्भ में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा एक मानक प्रपत्र अनुबंध के सन्दर्भ में.

4.4. 1996 अिधिनयम की धारा 7(5), UNCITRAL माडल कानून के अनुछेद 7 (2)[2] जो 2006 के संशोधन के पहले से मौजूद था को करीबी से दोहराता है. डॉ. पीटर बाइंडर अपनी टिप्पणी अपने शीर्षक "*UCITRAL* मॉडल कानून और न्यायप्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और

2अनुच्छेद 7. मध्यस्थता समझौते की परिभाषा एवं रूप.–

(1)'मध्यस्थता समझौता' पार्टीयों द्वारा किया गया एक समझौता है उन सभी या कुछ विशेष विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए जो एक परिभाषित वैधानिक रिश्ते से उत्पन्न होते है , चाहे वो संविदात्मक हो या नहीं. एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।

(2) मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। एक समझौता लिखित रूप में माना जायेगा यदि यह एक दस्तावेज़ के रूप में है जिसपर पार्टियों का हस्ताक्षर हुआ है या जो पत्रों, टेलेक्स, टेलीग्राम या दूरसंचार के अन्य माध्यमों के आदान-प्रदान में शामिल है जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, या दावे और बचाव के बयानों के आदान-प्रदान में शामिल हैं जिसमें किसी समझौते के असतित्व पर एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इससे इनकार नहीं किया जाता है। एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ का संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है, बशर्ते कि अनुबंध लिखित रूप में हो और संदर्भ ऐसा हो जो उस खंड को अनुबंध का हिस्सा बना सके।

सुलह"[3] में अनुछेद 7(2) को इन शब्दों के सन्दर्भ में सम्मिलित किया है:

"(डी) एक दस्तावेज़ का संदर्भ जिसमें एक मध्यस्थता खंड है

> अनुच्छेद 7(2) का तीसरा वाक्य एक अनुबंध से संबंधित है जिसमें एक दस्तावेज़ के सन्दर्भ में एक मध्यस्थता खंड होता है। बशर्ते कि मुख्य अनुबंध "लिखित" हो और संदर्भ "ऐसा हो जो उस खंड को अनुबंध का हिस्सा बना दे", मध्यस्थता समझौता वैध है। इस प्रावधान को शामिल करने की आवश्यकता न्यूयॉर्क कन्वेंशन के संदर्भ में इस मुद्दे पर समस्याओं और भिन्न-भिन्न अदालती फैसलों के कारण उत्पन्न हुई।ट्रैवॉक्स स्पष्ट करता है
> कि यदि संदर्भ केवल दस्तावेज को संदर्भित करता है तो यह पर्याप्त है; उसमें मध्यस्थता खंड का विशिष्ट उल्लेख आवश्यक नहीं है।"

(महत्त्व दिया गया)

4.5. अंग्रेजी मध्यस्थता अिधिनयम, 1996 की धारा 6(2), 1996 अधिनियम की धारा 7(5) से पैरी मटेरिया है और निम्नानुसार पढ़ता है:

> "6. मध्यस्थता समझौते की परिभाषा.
> (1).....
>
> (2) किसी समझौते में मध्यस्थता खंड के लिखित रूप या मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ का संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते को बनाता है यिद संदर्भ ऐसा है कि उस खंड को समझौते का हिस्सा बनाया जाए।"

---

3 डॉ. पीटर बाइंडर, *UNCITRAL* मॉडल कानून क्षेत्राधिकार में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह, (तृतीय संस्करण, 2010, स्वीट एवं मैक्सवेल) पृ. 86, पैरा 2-022

सी ट्रेड मेरीटाइम कोर्पोराशन बनाम हेलेनिक

मुचुअल वार रिस्क असोसीएशन (बरमूडा) लिमिटेड,

दी एथेना[4] में यह माना गया कि एक मानक प्रपत्र

अनुबंध के सामान्य शब्द का सम्मिलित होना

मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त थे।

4.6 पूर्व अनुबंध से सामान्य सन्दर्भ द्वारा बाद के अनुबंध में मध्यस्थता खंड

को सम्मिलित करने का सवाल क्वींस बेंच डिविजन के गज्लर इस्थिसल एन्दुस्त्री एस बनाम सोमतल सल[5] के समक्ष विचार के लिए आया था. इस में मामले में, न्यायालय ने सी ट्रेड मेरीटाइम कोर्पोराशन में दिए गए फैसले का पालन किया और कहा की मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध के सामान्य सन्दर्भ एक मानक अनुबंध बनाते है. कोर्ट ने निम्नलिखित व्यापक श्रेणियाँ को मान्यता दी जिनमें पार्टियाँ मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रयास करती है:

"(1) ए और बी एक अनुबंध बनाते हैं जिसमें वे मानक शर्तें शामिल करते हैं। ये किसी एक पक्ष की मानक शर्तें हो सकती हैं जो िकसी प्रस्ताव पत्र या आदेश के पीछे दी गई हों या उसमें शामिल हों

4[2006] ईडब्ल्यूएचसी 2530 (कॉम)
5[2010] ईडब्ल्यूएचसी 29 (कॉम)

किसी अन्य दस्तावेज़ में जिसका संदर्भ दिया गया है; या किसी संगठन के नियमों में सननिहित शर्तें, जिसके ए या बी या दोनों सदस्य हैं; या वे किसी विशेष व्यापार या उद्योग में मानक शब्द हो सकते हैं।

(2) ए और बी एक अनुबंध बनाते हैं जिसमें ए और बी के बीच पहले से सहमत शर्तों को किसी अन्य अनुबंध या अनुबंध में शामिल किया गया है जिसमें वे दोनों पक्ष थे

(3) ए और बी ए (या बी) और सी के बीच सहमत शर्तों को शामिल करते हुए एक अनुबंध बनाते हैं। सामान्य उदाहरण एक चार्टर की शर्तों को शामिल करने वाला एक बिल है जिसमें ए एक पार्टी है; अंतर्निहित बीमा की शर्तों को शामिल करने वाले पुनर्बीमा अनुबंध; बीमा की प्राथिमक परत की शर्तों को शामिल करने वाले अितिरक्त बीमा अनुबंध; और भवन

या इंजीनियिरंग उप अनुबंध जिसमें मुख्य अनुबंध की शर्तें शामिल हैं या उप अनुबंध अनुबंध जिसमें उप अनुबंध की शर्तें शामिल हैं।

(4) ए और बी, सी और डी के बीच सहमत शर्तों को शामिल करते हुए एक अनुबंध बनाते हैं। लदान के बिल, पुनर्बीमा और बीमा अनुबंध और भवन अनुबंध इस श्रेणी में आ सकते हैं। "

हबास(सुप्रा) में 'एकल अनुबंध मामला' और 'दो अनुबंध मामला' के बीच अंतर बनाया गया। एक 'एकल अनुबंध मामला' वह है जहां मध्यस्थता खंड मानक प्रपत्र अनुबंध में निहित है जिसका अनुबंध में पार्टियों के बीच एक सामान्य सन्दर्भ है. दूसरी ओर, जहां मध्यस्थता खंड पहले के अनुबंध में िनिहत है/ कोई अन्य अनुबंध में है, और एक संदर्भ में इसे पार्टियों के बीच के अनुबंध में शामिल करना हो,

यह एक 'दो अनुबंध मामला' होगा। न्यायालय ने ऐसा माना एकल अनुबंध में सामान्य संदर्भ द्वारा निगमन मामला वैध है. हालाँकि, 'दो अनुबंध मामले' में, जहाँ एक में मध्यस्थता खंड का संदर्भ अलग अनुबंध में दिया गया है, संदर्भ मध्यस्थता खंड विशेष होना चाहिए.

हबास(सुप्रा) के निर्णय की हाल ही में क्वींस बेंच ने डिविजन इन सी 2011 इंक बनाम आई. सी. टी. लिमिटेड[6] के मामले में इसकी पुष्टी की गई है

4.7 रसेल ने मध्यस्थता पर अपनी टिपण्णी में7 एकल और दो अनुबंध मामलों पर टिपण्णी की, और

निम्निलिखत में मानक प्रपत्र शर्तों का संदर्भ

मार्ग, जो शिक्षाप्रद है:

> "**मानक फॉर्म शर्तों, एकल और दो अनुबंध मामलों का संदर्भ।**यदि शामिल किया जाने वाला दस्तावेज़ नियमों और शर्तों का एक मानक रूप है तो अदालतें यह स्वीकार करने की अधिक संभावना रखती हैं कि निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त होंगे। ऐसा इसिलए है क्योंकि पार्टियों से मध्यस्थता खंड सहित उन मानक शर्तों से अधिक परिचित होने की उम्मीद की जा सकती है। सी ट्रेड मैरीटाइम कॉरपोरेशन बनाम हेलेनिक म्युचुअल वॉर रिस्क एसोसिएशन (बरमूडा) लिमिटेड, ("एथेना") नंबर 2 में न्यायालय ने "दो अनुबंध मामले" के रूप में वर्णित के बीच अंतर निकाला, यही वह जगह है जहां मध्यस्थता खंड एक उप दस्तावेज़ में
> निहित है जो एक अनुबंध है जिसमें कम से कम एक पक्ष अलग ह

---

6. [2018] ईडब्ल्यूएचसी 520 (कॉम)

7. मध्यस्थता पर रसेल(24वांएड. ,2015, स्वीट एंड मैक्सवेल) पीपी 52 - 54, पैरा 2049

प्रश्नगत अनुबंध के पक्षों से, और "एकल अनुबंध मामला" जहां मध्यस्थता खंड मानक शर्तों में है जो किसी अन्य दस्तावेज़ में पाया जा सकता है। फेडरल बल्क कैरीज़ इंक बनाम सी. इटोह एंड कंपनी लिमिटेड ("फेडरल बल्कर") में बिंघम एलजे के आदेश पर भरोसा करते हुए, लैंगली जे ने कहा कि:

"सैद्धांतिक रूप से, अंग्रेजी कानून सामान्य शब्दों के उपयोग द्वारा मानक शर्तों को शामिल करने को स्वीकार करता है और, मैं जोड़ना चाहूंगा, खासकर तब जब शर्तें आसानी से उपलब्ध हों और एक प्रसिद् बाजार में स्थापित खिलाड़ियों के बीच लेनदेन के संदर्भ में प्रश्न उठता है। सिद्धांत , जैसा कि तानाशाही स्पष्ट करती है, एक शब्द के बीच अंतर नहीं करता है जो एक मध्यस्थता खंड है और जो अन्य मुद्दों को संबोधित करता है, इसके विपरीत, और इस कारण से कि यह अन्य पार्टियों से सम्बंधित है, चार्टरपार्टी/बिलों में एक "कठोर नियम" लागू किया जाता है। मामलों को आगे बढ़ाने का कारण यह बताया गया है कि दूसरे पक्ष को प्रासंगिक शर्तों के बारे में न तो जानकारी है और न ही जानकारी के लिए तैयार साधन। इसके अलावा, जैसा कि अधिकारी बताते हैं, मध्यस्थता खंड की शर्तों को लागू करने के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, एक अलग अनुबंध के पक्षकारों के लिए।"

इसिलए न्यायालय ने मानक फॉर्म शर्तों और एक अलग अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में निगमन के बीच अंतर को मजबूत किया, और
निष्कर्ष निकाला कि एक एकल अनुबंध मामले में निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त हैं, जबिक इसकी प्रकृति से दो अनुबंध मामले में विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, दूसरे अनुबंध के लिए, जब तक कि उप दस्तावेज़ को मध्यस्थता समझौते वाले मानक प्रपत्र शर्तों पर आधारित न बताया जाए। उस मामले में, संभवतः विशिष्ट संदर्भ को मध्यस्थता खंड की आवश्यकता नहीं होगी. जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, इस दृष्टिकोण को बाद के मामलों में समर्थन दिया गया है, हालांकि एक अलग अनुबंध मानक या अन्यथा की शर्तों को

शामिल करने के बीच थोड़ा अलग लेकिन "भौतिक" अंतर दर्शाया गया है। समान पार्टियों के बीच किए गए मामलों को "एकल अनुबंध" मामलों के रूप में माना जाता है, भले ही वास्तव में एक से अधिक अनुबंध हों; और जहां शामिल की जाने वाली शर्तें एक या अधिक विभिन्न पक्षों के बीच अनुबंध में निहित होती हैं, जिन्हें "दो अनुबंध" मामलों के रूप में माना जाता है।

एकल अनुबंध मामलों का विस्तार. हाल ही में, ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतों ने मानक प्रपत्र अनुबंधों पर लागू होने वाले "एकल अनुबंध" सिद्धांत को, जहां निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त होंगे, अन्य प्रकार के अनुबंधों तक बढ़ा दिया है. यहां समान तर्क को लागू करने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार, यदि शामिल
किया जाने वाला दस्तावेज़ समान पक्षों के बीच एक विशिष्ट अनुबंध है, तो अदालतों ने इसे "एकल अनुबंध" मामले के रूप में स्वीकार किया है, जहां निगमन के सामान्य शब्द पर्याप्त होंगे, भले ही अन्य अनुबंध मानक शर्तों पर नहीं है. यह एक पूरी तरह से अलग समझौता बनता है. इस दृष्टिकोण के लिए तर्क यह है कि पार्टिया पहले से ही शामिल की गई शर्तों पर अनुबंध कर चुकी हैं और इसिलए किसी मानक शब्द को शामिल करने का विरोध करने वाली पार्टी की तुलना में उनके उस शब्द से पिरिचत होने की अधिक संभावना है। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि निगमन के सामान्य शब्द बाद वाले के लिए पर्याप्त हैं, तो उन्हें पहले वाले के लिए और भी अधिक होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतों ने "एकल अनुबंध" मामले के रूप में ऐसी स्थिति को स्वीकार कर लिया है, जहां संदरभित अनुबंध मूल अनुबंध के पक्षों में से एक और तीसरे पक्ष के बीच है, जहां संपूर्ण अनुबंध एकल व्यावसाियक संबंध के सन्दर्भ में दर्ज किये गए थे।"

(महत्त्व दिया गया)

4.8 मध्यस्थता अिधिनयम, 1940 (इसके बाद इसे कहा जाएगा “1940

अिधिनयम") के सन्दर्भ में भारतीय मध्यस्थता में एक प्रारंभिक मामला थाएिलमेंटा एसए बनाम राष्ट्रीय कृषि कॉप मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमटेड[8] है. यद्यिप वहाँ मध्यस्थता समझौते पर निगमन के सिद्धांत पर आधारित 1940 अधिनियम के सन्दर्भ में कोई विशेष प्रावधान नहीं था, इस न्यायालय ने इसे भारतीय कानून में लागू करने की मान्यता दी. इस मामले में, न्यायालय ने यह माना कि पहले के अनुबंध का मध्यस्थता खंड बाद में संदर्भ द्वारा अनुबंध में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि यह प्रतिकूल न हो, या यह उस अनुबंध की शर्तों के साथ असंगत है जिसमें यह है सम्मिलित किया गया है।

4.9 1996 के अिधिनयम में, सन्दर्भ के तहत निगमन का सिद्धांत अनुभाग के अंतर्गत प्रदान किया गया है जो अधिनयम की धारा 7(5) में है. एमआर इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड बनाम सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड,9 में इस न्यायालय ने ऐसा माना कि भले ही पार्टीयों के बीच अनुबंध में मध्यस्तता से सम्बंधित कोई प्रावधान नहीं है, एक स्वतंत्र दस्तावेज़ में निहित मध्यस्थता का प्रावधान, अनुबंध में सन्दर्भ के माध्यम से सम्मिलित किया जा सकता है, यदि संदर्भ ऐसा है जैसे मध्यस्थता अनुबंध का हिस्सा बन सकता है.

8. (1987) 1 एससीसी 615 : एआईआर 1987 एससी 643 : 84 (2000) डीएलटी 494।

9. (2009) 7 एससीसी 696 : 2009 (3) एआरबी एलआर 1 (एससी) : 2009 (9) स्केल 298।

अदालत ने सिद्धांत की व्याख्या की निम्निलिखत शब्दों में की है -

> "24. इसिलए धारा 7(5) के दायरे और इरादे को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:
>
> (i) किसी अन्य दस्तावेज़ में एक मध्यस्थता खंड, संदर्भ द्वारा अनुबंध में शामिल किया जाएगा, यिद निम्निलिखत शर्तें पूरी होती हैं:
>
> (1) अनुबंध में मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेजों का स्पष्ट संदर्भ होना चाहिए,
>
> (2) अन्य दस्तावेज़ के संदर्भ में अनुबंध में मध्यस्थता खंड को शामिल करने का इरादा स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए,
>
> (3) मध्यस्थता खंड उचित होना चाहिए, जो अनुबंध के तहत विवादों के संबंध में लागू होने में सक्षम हो और अनुबंध की किसी भी शर्त के प्रतिकूल न हो।
>
> (ii) जब पार्टिया किसी अन्य अनुबंध का सामान्य संदर्भ देते हुए एक अनुबंध में प्रवेश करती हैं, तो ऐसे सामान्य संदर्भ का पार्टियों के बीच अनुबंध में संदर्भित दस्तावेज़ से मध्यस्थता खंड को शामिल करने का प्रभाव नहीं होगा। किसी अन्य अनुबंध से मध्यस्थता खंड को अनुबंध में शामिल किया जा सकता है (जहां ऐसा संदर्भ बनाया गया है), केवल मध्यस्थता खंड के एक विशिष्ट संदर्भ द्वारा।
>
> (iii) जहां पार्टियों के बीच एक अनुबंध यह प्रावधान करता है

कि उस अनुबंध का निष्पादन या प्रदर्शन किसी अन्य अनुबंध के संदर्भ में होगा (जिसमें प्रदर्शन से संबंधित नियम और शर्तें और मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटारे का प्रावधान शामिल है), तो, शर्तें केवल निष्पादन/प्रदर्शन के संबंध में संदर्भित अनुबंध ही लागू होगा, न कि संदर्भित अनुबंध में मध्यस्थता समझौता, जब तक कि मध्यस्थता खंड का भी विशेष संदर्भ न हो।

(iv) जहां अनुबंध यह प्रदान करता है कि एक स्वतंत्र व्यापार या व्यावसायिक संस्थान के नियमों और शर्तों का मानक रूप (उदाहरण के लिए ट्रेड एसोसिएशन या आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के मानक
नियम और शर्तें) उन्हें बाध्य करेगा या अनुबंध पर लागू होगा, ऐसे मानक शर्तों का रूप और किसी भी प्रावधान सिहत शर्तें ऐसे मानक
नियमों और शर्तों में मध्यस्थता को संदर्भ द्वारा शामिल माना जाएगा। कभी-कभी अनुबंध यह भी कह सकता है कि पक्ष उन
नियमों और शर्तों से पिरिचत हैं या पार्टियों ने उक्त नियम और
शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

(v) जहां पार्टियों के बीच अनुबंध यह निर्धारित करता है कि अनुबंध के पक्षों में से किसी एक के अनुबंध की शर्तें उनके अनुबंध का एक
हिस्सा बनेंगी (उदाहरण के लिए सरकार के अनुबंध की सामान्य शर्तें जहां सरकार एक पार्टी है), मध्यस्थता खंड बनता है, अनुबंध की ऐसी सामान्य शर्तों का हिस्सा पार्टियों के बीच अनुबंध पर लागू होगा।

(महत्व दिया गया)

4.10 इस न्यायालय ने आईनॉक्स विंड लिमटेड बनाम थर्मोकेबल्स लिमिटेड[10] के मामले में 'एकल अनुबंध मामले' को अपनाते समय और 'दो अनुबंध मामले' का सिद्धांत हबास (सुप्रा) द्वारा रखते हुए माना कि सहमित का एक सामान्य संदर्भ में मानक प्रपत्र मध्यस्थता खंड के समावेश के लिए पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में, एक पक्ष के मानक प्रपत्र के अनुबंध के सामान्य संदर्भ में मध्यस्थता खंड को शामिल करना पर्याप्त होगा।

10(2018) 2 एससीसी 519

इस मामले में, न्यायालय ने इस सिद्धांत के अनुप्रयोग का विस्तार किया यह कहते हुए कि किसी पक्ष का मानक प्रपत्र अनुबंध का सामान्य संदर्भ भी और उनके साथ व्यापार संघों और पेशेवर निकाय, सब मध्यस्थता खंड को शामिल करने के लिए पर्याप्त होंगे।

5. वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में ग़लती से यह विचार किया है कि मध्यस्थता खंड प्रतिवादी संख्या 2 जो कोल कंपनी और अपीलार्थी है के व्यक्तिगत बिक्री आदेश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा. व्यक्तिगत बिक्री आदेश 2007 की योजना से निकले हैं। विक्रय आदेश विशेष रूप से बताते है कि वे कोल इण्डिया लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इत्यादि द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देश, पिरपत्र, कार्यालय आदेश, नोटिस, निर्देश, प्रासंगिक कानून आदि से शासित होंगे. परिणामस्वरुप 2007 की योजना में मध्यस्थता खंड (अर्थातखण्ड 11.12) में बिक्री के आदेश में जारी किए गए।

बिक्री आदेशों में खंड 7 'एकल अनुबंध मामला' के अंतर्गत आता है जहां मध्यस्थता

खंड एक मानक प्रपत्र दस्तावेज़ के रूप में निहित है अर्थात 2007 की योजना, जिसकी

चर्चा प्रतिवादी संख्या 2 - कोयला कंपनी के व्यक्तिगत बिक्री आदेशों के सन्दर्भ में है.

5.1 2007 योजना में मध्यस्थता खंड स्पष्ट रूप से बताता है :

> "किसी भी रूप में इस योजना से या उसके संबंध से उत्पन्न सभी विवाद में मध्यस्थता और सुलह अिधिनयम, 1996 के संदर्भ में विशेष रूप से मध्यस्थता के माध्यम से निपटा जाएगा।"

(महत्त्व दिया गया)

रसेल ने मध्यस्थता[11]पर अपनी टिपण्णी मे इन

शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है:

"**ि्ववाद "जुड़े हुए", "सम्बंधित ", या "अनुबंध से संबंधित"।** ये शब्द, जो बार-बार सामने आते हैं और जिनका एक ही अर्थ दिया जाना है, एक समय में उनकी सीमित व्याख्या की गई थी, लेकिन अब वे व्यापक अर्थ के रूप में अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं...वे मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध से संबंधित किसी अन्य अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को पकड़ने के लिए भी पर्याप्त हो सकते हैं।

(महत्त्व दिया गया)

रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम सामान्य विद्युतीय कंपनी और अन्य[12] में इस

न्यायालय ने यह देखा अभिव्यक्तिया जैसे "उत्पन्न होना", या "के संबंध में", या "के

संबंध में", या "सम्बंधित" में, अनुबंध की सामग्री और आयाम व्यापक है.

11मध्यस्थता पर रसेल(24वांएड. ,2015, स्वीट एंड मैक्सवेल) पृ. 82, पैरा 2103

12[1985]1एससीआर432

डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य[13] में इस न्यायालय ने देखा कि अभिव्यक्तिया जैसे - "संबंधित", "सम्बन्ध में" और "उत्पन्न होने वाले", का

व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए।

शब्द"उसके संबंध में" जिसका प्रयोग 2007 की योजना के खंड 11.12 में किया गया है से यह संकेत मिलता है कि यह खंड 2007 योजना के अंतर्गत हुए सभी लेन -देंन पर लागू होता है. यह वर्तमान मामले में हुए सभी खरीद-बिक्री को सम्मिलित करता है.

5.2. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विद्वान् एकल न्यायधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण ग़लत है, और इसे रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है.

6. सुनवाई के समापन पर, पक्षकारों ने सर्वसम्मित से श्री न्यायमूर्ति प्रणब कुमार चट्टोपाध्याय (कलकत्ता उच्च के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अदालत; पता: पी29/3, जोतीश

रॉय रोड, कोलकाता -700053) को नियुक्त करने पर सहमित व्यक्त की जो विवादों को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में, 2007 योजना के अंतर्गत, अपीलकर्ता और प्रितवादी संख्या 2 के बीच उत्पन्न हए मतभेदों का निपटारा करेंगे।

131988 (36) ईएलटी 201 (एससी)

श्री न्यायमूर्ती चट्टोपाध्याय की नियुक्ति प्रकटीकरण और घोषणा के अधीन होगी, जो मध्यस्थता और सुलह अिधिनयम, 1996 की छठी अनुसूची के अनुसार है (जैसा कि 2015 संशोधन अिधिनयम द्वारा संशोधित)।

कार्यवाही कोलकाता में आयोजित की जाएगी।

तदनुसार आदेश दिया गया।

निधि **जैन**

अपील अनुमत

<u>यह अनुवाद शालिनी साबू, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>